

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- शिवाड़ा

प्रकरण संख्या:- 137/2025

दिनांक:- 31/7/2025

उनवान

श्री कृष्णाकान्त शिवाड़ा  
चौधमल

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी  
खता शिवाड़ा भू अ. नि. शिवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की  
नियम/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
ग्राम शिवाड़ा पं० ह० शिवाड़ा की वर्तमान स्थायी  
समाबन्दी के खाता संख्या 127, 131, 132, 409, 526 वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को  
लेखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये  
गये हैं।

अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
नाम	<u>किशन s/o चौधमल</u>	<u>कृष्णाकान्त s/o चौधमल</u>

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

लेखी :-  
तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि  
आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।  
प्रार्थी श्री कृष्णाकान्त शिवाड़ा चौधमल शर्मा।  
रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

